

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता/कानूनी सहायता प्रार्थना पत्र

(यह प्रार्थना पत्र जिला प्रोबेशन अधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा)

1. श्रीमती

आयु.....



2. जिला

तहसील.....

3. नगर ग्राम का पूरा पता

4. पति का नाम व पूरा पता

5. जाति

.....

6. यदि प्रार्थिनी कहीं कार्य करती है अथवा उसके पास चल या अचल सम्पत्ति है तो सभी स्रोतों से प्राप्त आय का

विवरण.....

7. प्रार्थिनी को यदि किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता/अनुदान भरण पोषण हेतु मिली

अथवा मिल रही है तो उसका पूर्ण
विवरण.....

8. प्रार्थिनी को उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि
.....

9. यदि कोई शारीरिक त्रुटि हो तो उसका उल्लेख किया जायें

10. बैंक का नाम खाता
संख्या.....

प्रार्थिनी द्वारा शपथ

मैं प्रमाणित करती हूँ कि:- मैं उत्तर प्रदेश की
निवासी हूँ। मेरी गुजर बसर करने का कोई जरिया नहीं है। मेरा सभी स्रोतों से होने वाली
कुल आय केवल रु०.....

..... प्रतिमास है। मेरी जानकारी में उपरोक्त विवरण सही है। यदि
कोई विवरण गलत हुआ तो धनराशि मुझे सहायता के रूप में दी जायेगी उसे राजकीये
कोष में वापस कर दूँगी तथा यदि मैं ऐसा न करू तो राजस्व देयों की भाँति यह समस्त
धनराशि मुझसे वसूल की जा सकेगी और मैं इसके लिए बाध्य रहूँगी।

पुनर्विवाह की दशा में मैं अपने पुनर्विवाह की सूचना संबन्धित जिला प्रोबधन अधिकारी
लखनऊ को स्वयं दूँगी।

प्रार्थिनी के हस्ताक्षर/निशानी अगूँठा

जिला प्रोबेशन अधिकारी की जाँच

मैंने इस प्रार्थना पत्र के सभी विवरणों की जाँच कर ली है। मैं प्रमाणित करता हूँ:-

1. प्रार्थिनी की सभी स्रोतों से होने वाली आय को कुल मिलाकर प्रतिमाह रु०
.....हैं।

2. प्रार्थिनी का कोई पुत्र न्यूनतम 18 वर्ष की आयु का नहीं है। प्रार्थिनी के पुत्र की आयु.....है तथा उसकी मासिक आय यदि कोई हो तो रु०
हैं तथा प्रार्थिनी का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं/नहीं हैं।

3. प्रार्थिनी के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण भी प्रमाणित किया जाता है:-

रिश्तेदार का नाम व सम्बन्ध.....

आयु :

आमदनी प्रतिमास :

प्रार्थिनी की सहायता करने में समर्थ/असमर्थ :